

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर

प्रारूप-6

परिशिष्ट


:: सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र ::

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

श्री हजारीलाल बैरवा प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनियाकेदार (टौंक) के रूप में कार्यरत थे जिनकी जन्मतिथि 01-05-1959 है, ये राज्य सेवा से दिनांक 04-10-2017 को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति उपरान्त सेवा निवृत्त हो चुके हैं। अतः श्री बैरवा के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति आदेश दिनांक 27-09-2017 को जारी किये गये।


यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री हजारीलाल बैरवा प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनियाकेदार (टौंक) के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/ए-2-7/प्रपत्र-6/सेवा सन्तोषजनक./2017 दिनांक- 12-10-17
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग, अजमेर
2. उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा) अजमेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक शिक्षा) टौंक
4. श्री हजारीलाल बैरवा प्रधानाचार्य राउमावि अरनियाकेदार (टौंक)
5. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च, माध्यमिक विद्यालय अरनियाकेदार (टौंक)
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. अनुभाग अधिकारी विभागीय जाँच/वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग
8. प्रभारी- संस्थापन बी-1/3 प्रभाग
9. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर